

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज० जयपुर
क्रमांक - ई-18/एम/एसीपी आक्षेप/2019/ दिनांक

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 11 (7)वित्त/नियम/2008 दिनांक 12.09.2008 एवं संशोधित आदेश क्रमांक एफ 14 (88)वित्त (नियम)/2008-1 दिनांक 31.12.2009 एवं दिनांक 05.07.2013 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित कर्मचारियों को निम्न प्रकार सेवा अवधि पूर्ण किये जाने पर एसीपी स्वीकृत की जाती है --

क्र.स.	नाम कर्मचारी मय पदस्थापन स्थान	प्र०नि० तिथि	पूर्ण सेवावधि	एसीपी स्वीकृति तिथि	स्वीकृत एसीपी	
					पे बैंड	ग्रैंड पे
1	श्री छोगाराम मेघवाल, कनिष्ठ सहायक, पाली।	06.10.1989 (वार्ड बॉय)	27 वर्ष	06.10.2016	9300-34800	3600
2	श्री देवकृष्ण मेहता, वरिष्ठ सहायक, डूंगरपुर।	08.11.1982 (वार्ड बॉय)	27 वर्ष	08.11.2009	5200-20200	2800

उपरोक्त कर्मचारियों का वेतन निर्धारण एसीपी स्वीकृति के फलस्वरूप संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार किया जावेगा।

Sr 2
(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज० जयपुर

दिनांक 14/01/19

क्रमांक :- ई-18/एम/एसीपी आक्षेप/2019/ 735

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 1 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर/पाली।
- 2 चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, साण्डेराव, पाली/पूजपुर, डूंगरपुर।
- 3 संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 4 प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
- 5 आदेश/निजी पत्रावली।

M
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज० जयपुर